In the court of Civil judge (junior Division) F.T.C.–I Kushinagar at padrauna

Presenst – Smt. Aishwarya Yadav (JO Code–UP4749)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3486/2026

प्रतिभा बनाम अंगद व अन्य

आदेश

12.08.2026 :–

अभियुक्त **बल्ली उर्फ बलिराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना– पत्र, परिवाद सं०– 12030/2022 अन्तर्गत धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० 3/4 डी.पी.एक्ट, थाना– को० पड़रौना, जिला– कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया गया है, उन्हें रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण परिवाद पर आधारित है। उक्त प्रकरण में सजा सात वर्ष या उससे कम है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा रू० 20000/– की एक जमानत तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डटेंकिग पेश करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त बिना विचारण न्यायालय के परमिशन के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त इस केस के गवाहों को किसी किस्म की कोई धमकी नहीं देगा और परेशान नहीं करेगा, और किसी भी तरीके से अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नहीं करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के पता एवं उसके जमानतियों के पते में परिवर्तन होने पर तुरन्त स्वयं व जमानतियों के परिवर्तित पतों की सूचना विवरण न्यायालय में देगा।

प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में यदि किसी नियत तिथि पर गवाह उपस्थित है, और तारीख अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है, तो किसी किस्म का कोई स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन करने की दशा में अभियुक्त को प्रदान करने की गयी यह जमानत निरस्त की जा सकती है।

ऐश्वर्या यादव

(JO Code–UP4749),

सिविल जज (जू०डि०), एफ.टी.सी.–I,

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)

कुशीनगर, स्थान– पड़रौना।

Digitally signed by Aishwarya Yadav
Date: 2026.08.12 18:05:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court